Unit-IV

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग-1948-49
[University Education Commission-1948-49]

जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में अपने ढंग से सोचना शुरू किया। सबसे पहले हमारा ध्यान उस समय की उच्च शिक्षा पर गया। उस समय उच्च शिक्षा का स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचे था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतः विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वह ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करें, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे। भारत सरकार ने इनके सुझाव पर 14 Nov. 1948ई० को डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग के अन्य सदस्य डा० जाकिर हुसैन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डा० आर्थर मोर्गन और डा० जेम्स डफ थे। आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते है। यह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग था।

आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र :- आयोग ने अपने शब्दों में आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में सुझाव देना था।

कार्य क्षेत्र :- आयोग का कार्य क्षेत्र भी भारतीय विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिती का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था।

आयोग का प्रतिवेदन : आयोग ने 25 Aug. 1949ई० को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 747 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज है

A Quality Product from Chitra

जो 15 अध्यायों में विभाजित है।

राधाकृष्णनन की सिफारिशें :- आयोग की विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों को हम निम्नलिखित रूप में में क्रमबद्ध कर सकते हैं

1. विश्वविद्यालयी शिक्षा का अनुशासन एवं वित्त व्यवस्था :-

इसके सम्बन्ध में आयोग ने ये सुझाव दिये :-

(i) उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखी जाये। इसकी व्यवस्था करना केन्द्र एवं प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व हो।

(ii) विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने और विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाये।

(iii) विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्व-विद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाये।

(iv) उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केन्द्र व प्रान्तीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें।

(v) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न मदों, भवन-निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों, खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाये।

(vi) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व उनकी प्रबंधकारिणी पर हो।

2. विश्वविद्यालयी शिक्षा का संगठन एवं संरचना :-

(i) उच्च शिक्षा का संगठन तीन स्तरों में किया जाये।

a- स्नातक

b- स्नातकोत्तर

c- शोध या अनुसंधान

स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष, परास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष तथा अनुसंधान कार्य के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का समय हो।

Chitra
DATE
PAGE

(iii) ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालय स्थापित किये जायें।

(iv) विश्वविद्यालयों में कला, विज्ञान और विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अलग-अलग विभाग खोले जायें।

3. विश्वविद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य:-

(i) विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना।

(ii) विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना।

(iii) विद्यार्थियों का आध्यात्मिक निर्माण करना।

(iv) ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो और मानसिक दृष्टि से भी अच्छे हो।

(v) ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें।

4. विश्वविद्यालयी शिक्षा का पाठ्यक्रम:-

(i) स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्र भाषा (हिन्दी) की शिक्षा अनिवार्य हो।

(ii) स्नातक स्तर पर सभी वर्गों जैसे- कला, विज्ञान और व्यावसायिक का पाठ्य क्रम विस्तृत किया जाये। उनमें छात्रों को अपनी रुचि और आवश्यकतानुसार विषयों के चयन की पर्याप्त छूट हो।

(iii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में किसी एक विषय का गहन अध्ययन हो जाये।

(iv) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश, अखिल भारतीय स्तर पर किया जाये।

5. विश्वविद्यालयी शिक्षा का माध्यम:- आयोग ने इस बात पर बल दिया कि स्वतंत्र देश की मांग के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें होनी चाहिए परन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया कि यह कार्य धीरे-धीरे ही किया जा सकता है।

A Quality Product from Chitra